

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक : एफ 2 () प्रा.वि.स./PRI ट्रेनिंग/RGSY/2011/ 214

जयपुर, दिनांक :

22/2/13

(प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सं: 35/2012-13)

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजनान्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में राशि रूपये 2.00 लाख (अक्षरे राशि रू. दो लाख मात्र) इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान (कोषालय सचिवालय जयपुर) के पी.डी. खातों में हस्तान्तरित किए जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। इस राशि का उपयोग राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के दिशानिर्देशानुसार किया जावेगा। इस राशि का विकलेय मद निम्न प्रकार है:-

बजट मद

मांग सं. 30

2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

198 - ग्राम पंचायतों को सहायता

(25) - राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

[02]- कार्यकलाप संबंधी

12-सहायतार्थ अनुदान(गैर संवेतन)(आयोजना)राशि रूपये - 1.00 लाख(अक्षरे राशि रू. एक लाख मात्र)

बजट मद

मांग सं. 51

2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

198 - ग्राम पंचायतों को सहायता

(26) - राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

[02]- कार्यकलाप संबंधी

12-सहायतार्थ अनुदान(गैर संवेतन)(आयोजना)राशि रूपये - 1.00 लाख(अक्षरे राशि रू. एक लाख मात्र)

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी.संख्या 331300113 दिनांक 14.02.2013 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है।

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक)राजस्थान जयपुर।
2. महानिदेशक इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जे.एल.एन. मार्ग जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (आय-व्ययक) विभाग, को प्रेषित कर अनुरोध है कि राशि रू. 2.00 लाख इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान (कोषालय सचिवालय जयपुर) के पी.डी. खाते में हस्तान्तरण के राज्यादेश शीघ्र जारी कराने का श्रम करावें।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
5. निजी सहायक, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
6. वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग।
7. शासन उप सचिव (प्रशिक्षण) पंचायती राज विभाग।
8. लेखाधिकारी, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान।
9. प्रोग्रामर, पंचायती राज मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
10. सांख्यिकी/अंकमिलान/रक्षित पत्रावली।

अधिशाषी अभियन्ता (टी.सी.)